1·6

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सल्ला से सैल–रौतगढ मोटर मार्ग (7.450कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
जिलास्तरीय स्तरीय समिति –पिथौरागढ़

उपखण्ड मुनाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत सल्ला से सैल–रौतगढ मोटर मार्ग (7.450कि0मी0) ~~नाप भूमि~~, 3.389 सिविल एंव सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 आरक्षित वन, 1.380 हे0 वन पंचायत वन भूमि अर्थात कुल 4.769 हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत जिलास्तरीय समिति (जिला– पिथौरागढ़) की दिनॉक 15/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच0सी0सेमवाल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1–श्री एच0सी0सेमवाल, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
2–डॉ0 इन्द्रपाल सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
3–श्री श्याम लाल आर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
4–श्रीमती लीलावती देवी सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र 29 मर्सोली भाट सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सल्ला से सैल–रौतगढ मोटर मार्ग (7.450कि0मी0) परियोजना हेतु 4.769 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही हैं। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एंव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

जिलाधिकारी अध्यक्ष	प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	श्रीमती लीलावती देवी जिला पंचायत सदस्य
जिलाधिकारी पिथौरागढ़	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़	जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़	सदस्य जिला पंचायत 29 मर्सोली भाट(बड़ावे) पिथौरागढ़(उत्तराखण्ड)

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :–जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सल्ला से सैल–रौतगढ मोटर मार्ग (7.450कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद –. पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित **सल्ला से सैल–रौतगढ मोटर मार्ग (7.450कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु **4.769** हे0 वनभूमि सिंचाई खण्ड,लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/ अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति पिथौरागढ़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

नोट :– उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

Name of Work :- Salla to Sail motor road

Annexure-1

FORM – 1
Government of Uttarakhand
Office of the District collector : Pithoragarh

No. **Date :**

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 4.769 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for **Construction of Sall to Sail Motor Road (7.450 Km)** under PMGSY in Pithoragarh district falls with in jurisdiction of Sail village in Munakot Tehsil.

It is further certified that :

S.No.		Remarks
1	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.769 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure ___to _____.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.
2	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
3	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.

Encl.- As above.

उप जिला अधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

Signature
(District Collector)

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

Name of Work :- Salla to Sail motor road

Annexure-1

FORM – 1
Government of Uttarakhand
Office of the District collector : Pithoragarh

No. **Date :**

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Salla to Sail Motor Road (7.450 Km) under PMGSY in Pithoragarh district falls with in jurisdiction of Sail village in Munakot Tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.769 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure ___to _____.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encl.- As above.

उप जिला अधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

Signature
(District Collector)
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

1·6

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– सल्ला से सेल-रौतगाढ मोटर मार्ग (7.450 कि.मी.)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, मूनाकोट

उपखण्ड मूनाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत सल्ला से सेल-रौतगाढ मोटर मार्ग परियोजना हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.389 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.38 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.769 हे0 वन भूमि) का सि० ख०। (लो०नि०वि०) पिथौरागढ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ) की दिनांक 15/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनुराग आर्या, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अनुराग आर्या –उपजिलाधिकारी ——————— अध्यक्ष
2– श्री अनिल कुमार –उप प्रभागीय वनाधिकारी– डीडीहाट ——— सदस्य
3– श्री [illegible] –सहायक समाज कल्याण अधिकारी– ——— सदस्य/सचिव
4– श्रीमती हेमादेवी –बी0डी0सी0 क्षेत्र – सेल ——— सदस्य

क्षेत्र पंचायत सेल मूनाकोट पिथौरागढ

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सल्ला से सेल-रौतगाढ मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.769 हे0 वन भूमि सिंचाई खण्ड (लो० नि० वि०) पिथौरागढ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मूनाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत सफला से सैलबगाड़ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.769 है0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विख / मूनाकोट

Sub. Divisional Officer
Didihat
Pithoragarh Forest Division

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–XII में प्रस्तावित, सल्ला से सेल–रौतगढ़ मोटर मार्ग (7.450 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– *सेल* तहसील :– *पिथैरागढ़* जिला :– *पिथैरागढ़*

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **पिथैरागढ़** के अन्तर्गत **सल्ला से सेल–रौतगढ़ मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य है0 आरक्षित वन भूमि, 3.389 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.380 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.769 है0 वन भूमि का **प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **सेल** द्वारा दिनांक **8/8/2012** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सेल** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.769 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत सेल
प्रधान
वि0ख0 मूनाकोट

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड ल0नि0वि0
पिथौरागढ़

46

दि० 08/08/2012 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

दि० 8.8.2012 को ग्राम सभा सेल में एक खुली बैठक सम्पन्न कराई गयी जिसमें प्रधान-मंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण-बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

जिसमें निम्न क्षेत्रीय जनता उपस्थित थे।

1- होशियार सिंह
2- [signature]
3- रमेश सिंह
4- लक्ष्मनसिंह
5- जगतसिंह
6- लक्ष्मनसिंह
7- अशोक राम
8- कल्यानसिंह
9- जीवनसिंह
10- हजारी राम
11 प्रकाश राम
12 उमेद राम
13- [signature]
14 गजेन्द्र राम
15 [signature]
16 रामाराम
17 किशन राम
18 अमन राम
19 फकीर सिंह
20 भगवान सिंह
21 उमेद राम
22
23 रमेश राम
24 लाली देवी
25 शेरा राम

25 - [signature]
26 रमेश राम

P. C. Attested

[stamp: ग्राम पंचायत सेल, प्रधान, वि०ख० मुनाकोट] [signature]

[signature]
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़